

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

मिसल नम्बर
09 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024

तारीख दायरा
18.03.2024

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
24.05.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री सुशील जांगिड पुत्र श्री दामोदर जांगिड निवासी ग्रा. पो. चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स यान्या एन्टरप्राइजेज ग्रा. पो. चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304504 मोबाईल नं. 9799993892
- 2—मैसर्स यान्या एन्टरप्राइजेज ग्रा. पो. चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304504
- 3—श्री हरीराम बैरवा पुत्र श्री मंगल राम बैरवा निवासी 45 श्रीरामगंज पोस्ट निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स छवी फूड प्राईवेट लिमिटेड 184 गुर्जर छात्रावास के सामने स्टेट हाईवे 12 जयपुर रोड फागी जिला जयपुर राज.। पिनकोड—303005 मोबाईल नं. 9829942445
- 4—मैसर्स छवी फूड प्राईवेट लिमिटेड 184 गुर्जर छात्रावास के सामने स्टेट हाईवे 12 जयपुर रोड फागी जिला जयपुर राज.। पिनकोड—303005

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii), एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थीगण स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 24.05.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2023 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स यान्या एन्टरप्राइजेज ग्रा. पो. चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सुशील जांगिड पुत्र श्री दामोदर जांगिड अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुशील जांगिड ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 40-45 मूल पॉली पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 200-200 ग्राम पैक धनिया पावडर



2004

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(मधुमय ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुशील जांगिड को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सुशील जांगिड व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह धनिया पावडर (मधुमय ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एमएम-01 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 200-200 ग्राम के 12 मूल पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर (मधुमय ब्राण्ड) 200-200 ग्राम के 12 मूल पॉली पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 3-3 पैकेट रखकर नियमानुसार एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3758 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3758 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सुशील जांगिड पुत्र श्री दामोदर जांगिड ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर वारन्टी खरीद बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में विक्रेता ने मैसर्स छवी फूड प्राईवेट लिमिटेड 184 गुर्जर छात्रावास के सामने स्टेट हाईवे 12 जयपुर रोड फागी जिला जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/944 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /3461/एक्ट/2023/3557 दिनांक 06.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया धनिया पावडर (मधुमय ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-



Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्री सुशील जांगिड व श्री हरीराम बैरवा स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी भी तरह हानिकारक नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। एक ही मशीन में विभिन्न मसाले पिसे जाने के कारण इसके नमूने में कुछ हल्दी पाए जाने से उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस धनिया पावडर (मधुमय ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया धनिया पावडर (मधुमय ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश चौधरी)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0